| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

# न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

**विविध वाद संख्या-144/2017**

**धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता**

**संजय मिस्त्री ------ प्रथम पक्ष**

**बनाम्**

**विशुन यादव वगैरह ------ द्वितीय पक्ष**

12-10-17

यह प्रक्रिया आवेदक संजय मिस्त्री पिता विफन मिस्त्री, ग्राम-अंधारीबाग कला, पोस्ट+थाना-पीपरा, जिला- पलामू ने 1. विशुन यादव पिता स्व0 बंधु महतो 2. ललन यादव 3. अवधेश यादव 4. शम्भु यादव 5. अखलेश यादव चारो के पिता विशुन यादव सभी ग्राम- दलपतपुर, पोस्ट-चपरवार, थाना-पीपरा, जिला-पलामू के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 अन्तर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक-802, दिनांक 05.07.2017 के द्वारा थाना प्रभारी, पीपरा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। थाना प्रभारी, पीपरा ने अपने डी0आर0 नं0- 364/17 दिनांक 10.07.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। थाना प्रभारी, पीपरा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा-अंधारीबाग कला, खाता सं0-05, प्लॉट सं0-204, रकबा-0.24 $\frac{1}{2}$ डी0 चौहद्दीः- उत्तर- रास्ता, दक्षिण- बुधई महतो, पूरब-नीज विक्रेता, पश्चिम-गिरजा साव के भूमि पर तनाव को देखते हुए उक्त भूमि पर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारम्भ कर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि विवादि भूमि प्रथम पक्ष मौजा-अंधारीबाग कला, खाता सं0-05, प्लॉट सं0-204, रकबा-0.24 $\frac{1}{2}$ डी0 नरसिंह सिह पिता स्व0 सरयू प्रसाद ग्राम-अंधारीबाग कला, थाना-पीपरा से निबंधित विक्रय पत्र सं0-4894 दिनांक 01.06.2000 को क्रय किये हैं। प्रथम पक्ष का यह भी कथन है कि विपक्षीगण भी उसी विक्रेता से जमीन केवाला से क्रय किये जो प्रथम पक्ष को भी लिखे है। विपक्षीगण का भूमि का विवरण निम्नवत हैः- मौजा-अंधारीबाग कला, खाता सं0-05, प्लॉट सं0-204, रकबा-0.24 $\frac{1}{2}$ डी0 चौहद्दीः- उत्तर- रास्ता (पक्की सड़क), दक्षिण- बुधई महतो, पूरब-मंगल देव सिंह, पश्चिम- संजय मिस्त्री है। उभय पक्ष एक ही मौजा के खाता सं0-05, प्लॉट सं0-204, रकबा-0.24 $\frac{1}{2}$ डी0 भूमि उभय पक्ष खरीद किये हैं और प्रथम पक्ष का केवाला विपक्षीगण के केवाला से पहले हुआ है और उस दिन से प्रथम पक्ष उपरोक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। विवाद कि स्थिति तब उत्पन्न हो गयी जब प्रथम पक्ष के खरीदगी भूमि के चौहद्दी वाली भूमि पर विपक्षीगण अपना मकान बनाने हेतु नीव रखे थे।<br>द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि प्रथम पक्ष निराधार आवेदन पत्र देकर बिना किसी आधार के धारा 144 दं0प्र0सं0 का भुकदमा प्रारम्भ कराया गया है जो भरण-पोषण योग्य नहीं है। प्रथम पक्ष द्वारा विवादि भूमि का गलत चौहद्दी दिये हैं जिस कारण से प्रथम पक्ष का दावा विश्वसनीय प्रतित नहीं होता है। द्वितीय पक्ष नरसिंह सिंह से निबंधित विक्रय पत्र सं0- 4895, दिनांक 01.06.2000 को खाता सं0-05, प्लॉट सं0-204, रकबा-0.24 $\frac{1}{2}$ डी0 चौहद्दीः- उत्तर- रास्ता, दक्षिण- भदई महतो, पुरब-नागदेव सिंह, पश्चिम-संजय मिस्त्री क्रय किये हैं और दखलकार हुए है। विक्रय पत्र के आधार पर द्वितीय पक्ष के पक्ष में विवादित भूमि का जमाबंदी संधारण हुआ और, सरकार को मालगुजारी देकर लगान रसिद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के | |

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | आवासीय मकान पर प्रारम्भ किया गया धारा 144 दं0प्र0सं0 का मुकदमा चलने योग्य नहीं है तथा विवादि भूमि पर उत्पन्न किया गया विवाद निराधार है।<br>प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में निबंधित केवाला संख्या-4894, दिनांक 01.06.2000 की छायाप्रति एवं सरकारी लगान रसिद (2015-16) की छायाप्रति समर्पित किये हैं।<br>द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में निबंधित केवाला संख्या-4923/4895 दिनांक 01.06.2000 की छायाप्रति एवं सरकारी लगान रसीद 2006-07 की छायाप्रति समर्पित किये है।<br>उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं समर्पित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के द्वारा एक ही व्यक्ति से एक ही मौजा, खाता सं0, प्लॉट सं0 एवं रकबा की भूमि केवाला के माध्यम से क्रय किया गया है जिस कारण से दखल कब्जे को लेकर उभय पक्षों के बीच तनाव है। उभय पक्ष का दावा स्वत्ववाद से संबंधित है जिसका निराकरण करने में यह न्यायालय सक्षम नहीं है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है।<br>अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।<br>**लेखापित एवं संशोधित**<br>9/11/17<br>**अनुमंडल दण्डाधिकारी,**<br>छत्तरपुर(पलामू)।<br>9/11/17<br>**अनुमंडल दण्डाधिकारी,**<br>छत्तरपुर(पलामू)। | |